रहे हैं। उन्होंने मंत्री से सभी छह टेंडरों शाही आदि मौजूद रहे। में जु

कार्यालय-नगर निगम, ऋषिकेश

पत्रांकः 95/ दुकान किराया / 2026-27 दिनांकः 06 अप्रैल, 2026

-: विज्ञप्ति सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा अपनी दुकानों के प्रिमियम, किराया निर्धारण तथा आवंटन एवं नामान्तरण उपविधियों का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम कार्यालय के कर एवं किराया अनुभाग की वेबसाइट **www.nagarnigamrishikesh.com** में निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार कोई आपत्ति/ सुझाव सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर लिखित रूप में नगर निगम, ऋषिकेश के कर एवं किराया अनुभाग में जमा की जा सकती है। तदोपरान्त उक्त प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण कर लिया जायेगा।

सूचित हों।

(गोपाल राम बिनवाल)
नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश।

Union Bank

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश।

नगर निगम की दुकानों के प्रिमियम एवं किराया निर्धारण तथा आवंटन उपविधि

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम,ऋषिकेश की सीमान्तर्गत नगर निगम की दुकानों के प्रिमियम एवं किराया निर्धारण उपविधि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 से 545 के प्राविधानों के क्रम में निम्नानुसार उपविधि बनाया जाना प्राविधानित है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–**

यह उपविधि नगर निगम ऋषिकेश की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत नगर निगम की दुकानों की बिना वापिसी प्रिमियम के आधार पर किरायेदारी आवंटन एवं किराया निर्धारण उपविधि_वर्ष 2026 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **परिभाषायें–**

(क)अधिनियम–अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।
(ख) नगर निगम सीमा से तात्पर्य–शासन द्वारा नगर निगम ऋषिकेश के निर्धारित क्षेत्र से है।
(ग)नगर आयुक्त–नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त से है।
(घ) मेयर–मेयर का तात्पर्य नगर निगम ऋषिकेश के निर्वाचित मेयर (महापौर) से है।
(ड़)प्रशासक–प्रशासक का तात्पर्य नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है।
(च)बोर्ड–बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड ऋषिकेश से है।
(छ) "दुकान" से अभिप्राय नगर निगम के स्वामित्व/अधिपत्य में स्थित व्यावसायिक इकाई से है।
(ज) "प्रीमियम" से अभिप्राय प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के दौरान दुकानों हेतु निर्धारित बिना वापसी एकमुश्त धनराशि से है।
(झ) "आवंटी" से अभिप्राय वह व्यक्ति/संस्था है जिसे दुकान आवंटित की गई हो।

3. **लागू क्षेत्र एवं उद्देश्यः–**

3.1 ये उपविधि नगर निगम,ऋषिकेश की सीमान्तर्गत स्थित अपनी व्यवसायिक संम्पत्तियों पर लागू होंगी।

3.2 उद्देश्य :

- संपत्तियों का पारदर्शी एवं दक्ष प्रबंधन।
- अधिकतम राजस्व सृजन।
- विधिसम्मत एवं नियंत्रित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

4. **दुकानों का आवंटनः–**

4.1 नगर निगम की दुकानों का आवंटन निम्नलिखित माध्यमों से किया जायेगा–
(क) ई–निविदा/खुली नीलामी के आधार पर।
(ख) सीलबंद निविदा (विशेष परिस्थितियों में नगर आयुक्त की अनुमति से)
4.2 प्रत्येक आवंटन प्रक्रिया का व्यापक प्रकाशन किया जाएगा।
4.3 नगर निगम द्वारा बिना कारण बताये किसी भी निविदा/नीलामी को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

.....क्रमश 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

5. पात्रता की शर्तें :–

5.1 आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
5.2 आवेदक किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय देयता में डिफॉल्टर न हो।
5.3 आवेदक द्वारा सत्य एवं पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5.4 नगर निगम एक व्यक्ति/संस्था को दुकानों की संख्या पर सीमा निर्धारित कर सकता है।

6. दुकान प्रीमियम एवं किराया निर्धारण:–

6.1 नगर निगम ऋषिकेश की सीमान्तर्गत स्थित दुकानों/कियोस्कों का आवंटन/किराया एवं बिना वापसी प्रिमियम धनराशि का निर्धारण नगर निगम बोर्ड ऋषिकेश द्वारा अपने निगम अधिवेशन में शासनादेशों/नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रविधानों एंव समय–समय पर शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में किया जायेगा।

6.2 नगर निगम के कियोस्क/दुकान आदि आवंटन के समय तकनीकी माप एवं निर्धारित वार्षिक सर्किल रेट एवं नव निर्मित कियोस्क/दुकानों के निर्माण पर हुए वास्तविक व्यय के अनुसार प्रिमियम राशि तथा किराया आदि का निर्धारण करते हुए दुकानों की आवंटन किया जायेगा ।

6.3 नगर निगम की आय में वृद्धि के दृष्टिगत दुकानों/कियोस्कों आदि का आवंटन/नीलामी पर प्रिमियम धनराशि निर्धारित कर वसूली जायेगी।

6.4 दुकानो/कियोस्को आदि मासिक निर्धारित किराया+G.S.T. का समय से भुगतान करना होगा । विलम्ब की दशा में 12% सामान्य ब्याज सहित किराया वसूला जायेगा।

6.5 नगर निगम द्वारा प्रत्येक दुकान हेतू आरक्षित मूल्य (Reserve Price) निर्धारित किया जाएगा।

6.6 नगर निगम द्वारा अंतिम आवंटन उच्चतम वैध बोली/निविदा के आधार पर निर्धारित होगा।

6.7 नगर निगम, आवश्यकतानुसार बाजार दर, स्थान, एवं मांग के आधार पर किराया पुनर्निर्धारित कर सकता है।

.....क्रमश 3 पर

Scanned with OKEN Scanner

7. **दुकान किराये में नामान्तरण की शर्तें व नियम :–**

नगर निगम,ऋषिकेश दुकानों आदि में किरायेदारी नामान्तरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत एवं प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार नामान्तरण शुल्क जमा कराने पर निम्नानुसार किये जायेगें:–

1. मूल आवंटी की मृत्यु की दशा में वारिसान के आधार पर दुकान किरायेदारी नामान्तरण।
2. मूल आवंटी के साथ साझेदारी के आधार पर दुकान किरायेदारी नामान्तरण एवं 1 वर्ष उपरान्त मूल आवंटी का नाम हटाकर किरायेदार का नाम दर्ज करने सबन्धी नामान्तरण ।

क्र0सं0	दुकान आदि किरायेदारी नामान्तरण विवरण	नामान्तरण हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित दर
1.	आज दिनांक से पूर्व मूल आवंटी के साथ साझेदारी पर सह किरायेदार का नाम जोडने तथा 1 वर्ष पश्चात् मूल आवंटी का नाम हटाकर किरायेदार का नाम अभिलेखों में दर्ज किया जाना।	मूल आवंटी के साथ दुकान साझेदारी डीड के आधार पर सह–किरायेदार का नाम जोडने पर वर्तमान सर्किलरेट व क्षेत्रफल के अनुसार 50% साझेदारी शुल्क तथा 1 वर्ष पश्चात् विघटन डीड के आधार पर मूल आवंटी का नाम हटाकर किरायेदार का नाम अभिलेखों में दर्ज करने पर Rs. 50,000/- शुल्क लिया जायेगा,जो समय–समय पर नगर निगम बोर्ड द्वारा बढाया जा सकेगा।
2.	मूल आवंटी की मृत्यु की दशा में परिवार के किसी सदस्य के नाम दुकान किरायेदारी में दर्ज किया जाना ।	मूल आवंटी की मृत्यु की दशा में परिवार के किसी सदस्य के नाम किरायेदारी में दर्ज किये जाने हेतु Rs. 10,000/- शुल्क लिया जायेगा।

दुकान आदि किरायेदारी नामान्तरण हेतु किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज:–

1. नामान्तरण हेतु प्रार्थना–पत्र मय नोटराइज्ड,शपथ पत्र।
2. दुकान साझेदारी की दशा में पार्टनर शीप डीड की नोटराइज्ड छाया प्रति।
3. किरायेदार द्वारा दुकान के अतिरिक्त स्थान पर अतिकमण न किये जाने तथा दुकान सम्बन्धी कोई वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन न होने तथा किसी भी प्रकार से ब्लैक लिस्टेड न होने सम्बन्धी शपथ–पत्र ।
4. यदि प्रश्नगत दुकान की बावत मा0 न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो वह किरायेदार को मान्य होगा तथ इस हेतु वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नही करेगा।

06/04/2026

नगर आयुक्त,
नगर निगम,ऋषिकेश।

Scanned with OKEN Scanner